

# लोक सभा द्वारा किए गए कार्य का सारांश

सोलहवीं लोक सभा  
तेरहवां सत्र, 2017-18

लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली  
फरवरी, 2018/फाल्गुन, 1939 (शक)

# लोक सभा द्वारा किए गए कार्य का सारांश

सोलहवीं लोक सभा — तेरहवां सत्र  
(15 दिसम्बर, 2017 से 05 जनवरी, 2018)



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

फरवरी, 2018/फाल्गुन, 1939 (शक)

टी०ओ० संख्या 4/16 एल०एस० खंड तेरह

© 2018 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्ये रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

## प्राक्कथन

इस प्रकाशन में सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान, अर्थात् 15 दिसम्बर, 2017 से 05 जनवरी, 2018 तक किए गए कार्य का सारांश दिया गया है।

नई दिल्ली;  
फरवरी, 2018  

---

फाल्गुन, 1939 (शक)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

## विषय-सूची

	पृष्ठ
1. सत्र की अवधि.....	1
2. विधेयक	
(एक) सरकारी विधेयक .....	2
(दो) स्थायी समितियों को सौंपे गए विधेयक .....	6
(तीन) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक .....	8
3. लोक सभा की बैठकें रद्द होना .....	25
4. समितियाँ	
(एक) वित्तीय समितियाँ .....	26
(दो) स्थायी समितियाँ .....	27
(तीन) वित्तीय और स्थायी समितियों से भिन्न समितियाँ .....	29
5. मत विभाजन .....	33
6. वित्तीय कार्य .....	34
बजट .....	34
7. उप-चुनाव में निर्वाचित सदस्य .....	35
8. शपथ/प्रतिज्ञान .....	36
9. सदस्यों द्वारा त्यागपत्र .....	37
10. लोक सभा में स्थानों का रिक्त होना.....	38
11. निधन संबंधी तथा अन्य उल्लेख	
(एक) निधन संबंधी उल्लेख .....	39
(दो) दुःखद घटनाओं संबंधी उल्लेख .....	41
(तीन) महत्वपूर्ण अवसरों पर बधाई उल्लेख .....	43
12. सभापति तालिका .....	45
13. सभा पटल पर रखे गए पत्र .....	46

	पृष्ठ
14. नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण .....	47
15. याचिकाएं .....	48
16. सभा में सदस्यों द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार संबंधी मामले .....	49
17. प्रश्न .....	50
(एक) तारांकित प्रश्न .....	50
(दो) अतारांकित प्रश्न .....	50
(तीन) सभा पटल पर रखे गए उत्तर .....	50
(चार) अल्प सूचना प्रश्न .....	50
(पांच) आधे घंटे की चर्चा .....	50
(छह) मंत्रियों द्वारा पहले ही दिए गए उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य .....	51
(सात) मंत्रियों द्वारा लोक सभा में प्रश्नों के पहले ही दिए गए उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य का सार .....	52
18. संकल्प —	
(एक) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प .....	53
(दो) सांविधिक संकल्प .....	55
(तीन) सरकारी संकल्प .....	71
19. नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा .....	72
20. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति —	
घोषणाएं/टिप्पणियाँ/उल्लेख/विनिर्णय .....	74
21. वक्तव्य .....	75
(एक) सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान नियम 372 के अधीन मंत्रियों द्वारा दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य .....	75
(दो) सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान अध्यक्ष के निदेश के निदेश 73क के अधीन मंत्रियों द्वारा दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य ....	76
(तीन) सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान सरकारी कार्य के बारे में मंत्रियों द्वारा दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य .....	84

( चार) नियम 377 के अधीन मामले—सोलहवीं लोक सभा के दौरान मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त होने के संबंध में स्थिति ( 24.01.2018 की स्थिति के अनुसार) .....	85
( पांच) सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान सभा में व्यवधानों और स्थगन के कारण नष्ट हुए समय को दर्शाने वाला विवरण .....	87
(छह) सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान ( एक)प्रश्न काल के पश्चात् और ( दो) दिन भर के लिए सभा के स्थगन से पहले उठाए गए अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को दर्शाने वाला विवरण .....	88
22. सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान गणपूर्ति घंटी बजाए जाने की तारीखें तथा समय और उससे संबंधित विश्लेषण को दर्शाने वाला विवरण .....	89
23. सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा बाहर चले जाने संबंधी विवरण .....	91
24. माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों द्वारा 15.12.2017 से 05.01.2018 तक अध्यक्षपीठ में बिताए गए वास्तविक समय को दर्शाने वाला विवरण .....	92
25. सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु लिए गए समय को दर्शाने वाला विवरण .....	97

**1. सत्र की अवधि**  
**(16वीं लोक सभा का तेरहवां सत्र)**

1. सत्र आरंभ होने की तारीख	:	\$ 15 दिसम्बर, 2017
2. अनिश्चितकाल के लिए स्थगन की तारीख	:	* 5 जनवरी, 2018
3. सत्रावसान की तारीख	:	5 जनवरी, 2018
4. सत्र के दिनों की कुल संख्या	:	22 दिन
5. बैठकों के वास्तविक दिनों की संख्या	:	13
6. बैठकों के घंटों की संख्या	:	61 घंटे

---

<sup>\$</sup>सभा की पहली बैठक राष्ट्रगान की धुन बजा कर आरंभ हुई।

\*बैठक राष्ट्रीय गीत की धुन बजा कर समाप्त हुई।

**2. विधेयक**  
**(एक) सरकारी विधेयक**

क्रमांक	विधेयक का नाम	पुरस्थापन की तारीख	सभा पटल पर रखे जाने की तारीख (राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने की दशा में)	लोक सभा में चर्चा की तारीख (राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने की दशा में)	लिया गया समय घं मि	पेश किए गए संशोधनों की संख्या	स्वीकृत संशोधनों की संख्या	प्रगति/टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017	18.12.2017	-	-	0 01	10	-	लंबित
2.	उपदन संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017	18.12.2017	-	-	0 01	15	-	लंबित
3.	दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017	18.12.2017	-	-	0 01	4	-	लंबित
4.	भारतीय बन (संशोधन) विधेयक, 2017	18.12.2017	-	20.12.2017 (विचार तथा पारित करना)	3 15*	2	-	पारित
5.	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017	18.12.2017	-	-	0 01	1	-	लम्बित
6.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2017	9.2.2017 (पूर्ववर्ती सत्र)	-	19.12.2017 (विचार तथा पारित करना)	1 07#	3	-	पारित
7.	निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2017	11.8.2017 (पूर्ववर्ती सत्र)	-	19.12.2017 (विचार तथा पारित करना)	1 07#	-	-	पारित

8.	केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017	24.7.2017 (पूर्ववर्ती सत्र)	–	19.12.2017 (विचार तथा पारित करना)	2 35	3	–	पारित
9.	स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017	18.7.2017 (पूर्ववर्ती सत्र)	–	19.12.2017 20.12.2017 (विचार तथा पारित करना)	2 18	4	–	पारित
10.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 2017	21.12.2017	–	2.1.2018 4.1.2018 (विचार तथा पारित करना)	4 13	3	1	यथासंशोधित, पारित
11.	विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2017	21.12.2017	–	21.12.2017 (विचार तथा पारित करना)	0 02	–	–	पारित
12.	विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2017	22.12.2017	–	– 0 01 (विचार तथा पारित करना)	–	–	–	लम्बित
13.	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017	22.12.2017	–	27.12.2017 (विचार तथा पारित करना)	1 27 <sup>\$</sup>	–	–	पारित
14.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधियां (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017	22.12.2017	–	27.12.2017 (विचार तथा पारित करना)	1 32	3	–	पारित

\*विधेयक पर विचारार्थ प्रस्ताव और राष्ट्रपति द्वारा 23 नवम्बर, 2017 को प्रख्यापित भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 6) के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प पर एक साथ चर्चा की गई।

# एक साथ चर्चा की हुई।

\$ विधेयक पर विचारार्थ प्रस्ताव और राष्ट्रपति द्वारा 2 सितम्बर, 2017 को प्रख्यापित माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 5) के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प पर एक साथ चर्चा की गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संशोधन) विधेयक, 2017	28.12.2017	-	28.12.2017 (विचार तथा पारित करना)	4 45	19	-	पारित
16.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017	28.12.2017	-	29.12.2017 (विचार तथा पारित करना)	2 24#	-	-	पारित
				3.1.2018 (संशोधनों सहित राज्य सभा द्वारा वापस)	4.1.2018 (राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार)	0 01	1	संशोधन पर <sup>लोक सभा सहमत हुई</sup>
17.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	0 01	-	-	लंबित
18.	परक्रान्त लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017	2.1.2018	-	-	0 01	-	-	लंबित
19.	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017	18.7.2018 (पूर्ववर्ती सत्र)	-	2.1.2018 (विचार तथा पारित करना)	3 21	11	1	यथासंशोधित पारित
20.	संविधान (एक सौ तेइसवाँ संशोधन) विधेयक, 2017,	5.4.2017 (पूर्ववर्ती सत्र)	1.8.2017 (संशोधनों सहित राज्य सभा द्वारा वापस)	3.1.2018 (राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन, उस संशोधन के वैकल्पिक	0 44	-	-	(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन, राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के वैकल्पिक संशोधन और आगे संशोधन पर

4

			संशोधन और आगे संशोधन पर (विचार)		विचार के लिए प्रस्ताव मंत्री द्वारा किया गया, परन्तु उस पर चर्चा 3 जनवरी, 2018 को पूरी नहीं हुई।
21.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018	5.4.2017 (पूर्ववर्ती सत्र)	4.1.2018 (संशोधनों सहित राज्य सभा द्वारा वापस)	4.1.2018 0 03 (विचार तथा पारित करना)	1 1 संशोधन पर लोक सभा सहमत हुई। पारित
22.	विनियोग विधेयक, 2018	4.1.2018	-	4.1.2018 (वापस लेने के लिए प्रस्ताव)	- - वापस लिया गया
23.	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015	10.8.2015 (पूर्ववर्ती सत्र)	-	5.1.2018 0 01 -	- - लंबित
24.	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018	5.1.2018	-	0 01 -	- - लंबित
25.	नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र विधेयक, 2018	5.1.2018	-	0 01 -	- - लंबित

#विधेयक पर विचारार्थ प्रस्ताव और राष्ट्रपति द्वारा 23 नवम्बर, 2017 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 7) के निरन्तरोदान संबंधी सांविधिक संकल्प पर एक साथ चर्चा की गई।

(दो) स्थायी समितियों को सौंपे गए विधेयक तथा उनके प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया जाना/सभा पटल पर रखा जाना

क्रमांक	विधेयक का नाम	लोक सभा/राज्य सभा में पुरस्थापित किए जाने की तारीख	अध्यक्ष/सभापति द्वारा सौंपे गये	समिति का नाम/सौंपे जाने की तारीख	प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने/सभा पटल पर रखे जाने की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2017	10.08.2017	सभापति	मानव संसाधन विकास (28.08.2017)	5.1.2018	लोक सभा में लंबित
2.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2017	29.12.2017	सभापति	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (8.01.2018)	-	समिति के पास लंबित

## सारांश

1.	पिछले सत्र (बारहवां सत्र) के अंत में लंबित विधेयक	25
2.	पुरःस्थापित किए गए विधेयक	17
3.	विधेयक जिनका पुरः स्थापन के समय विरोध किया गया	2
4.	राज्य सभा द्वारा पारित और सभा पटल पर रखे गए विधेयक	कोई नहीं
5.	राज्य सभा द्वारा पारित और सभा पटल पर रखे गए विधेयक— लोक सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस किए गए	कोई नहीं
6.	पूर्व सत्र के दौरान राज्य सभा द्वारा पारित और सभा पटल पर रखे गए विधेयक—लोक सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस किए गए	कोई नहीं
7.	राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस किए गए और लोक सभा के पटल पर रखे गए विधेयक	2
8.	पारित किए गए विधेयक	13
9.	विधेयक जिनमें राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से लोक सभा सहमत हुई	2
10.	विधेयक जिनमें राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से लोक सभा सहमत नहीं हुई	कोई नहीं
11.	अस्वीकृत विधेयक	कोई नहीं
12.	वापस लिए गए विधेयक	1
13.	विधेयक—वाद—विवाद समाप्त हुआ लेकिन और प्रस्ताव नहीं लिया गया	कोई नहीं
14.	स्वीकृत विधेयकों पर वाद—विवाद के स्थगन हेतु प्रस्ताव	कोई नहीं
15.	प्रवर समिति को सौंपे गए विधेयक	कोई नहीं
16.	संयुक्त समिति को सौंपे गए विधेयक	कोई नहीं
17.	विधेयक जिन पर प्रवर समिति ने प्रतिवेदन दिया	कोई नहीं
18.	विधेयक जिन पर संयुक्त समिति ने प्रतिवेदन दिया	कोई नहीं
19.	राज्य सभा में लाए गए और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति को सौंपे गए विधेयक जिनके बारे में सहमति के प्रस्ताव लोक सभा द्वारा स्वीकृत किए गए	कोई नहीं
20.	सभापति/अध्यक्ष द्वारा स्थायी समितियों को सौंपे गए विधेयक	1
21.	विधेयक जिनके संबंध में स्थायी समितियों ने अपना प्रतिवेदन दिया	1
22.	सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र की समाप्ति पर लंबित विधेयक	28

**(तीन) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक**

क्रमांक	विधेयक का नाम तथा प्रभारी सदस्य	पुरस्थापन की तारीख	सभा पटल पर रखे जाने की तारीख (राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने की दशा में)	लोक सभा में चर्चा की तारीख	लिया गया समय	पेश किए गए	स्वीकृत संशोधनों की संख्या	प्रगति/टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	डॉ. भोला सिंह, संसद सदस्य का किसानों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2016	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित <span style="float: right;">∞</span>
2.	डॉ. भोला सिंह, संसद सदस्य का प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2016	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
3.	श्री महेश गिरी, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
4.	श्रीमती मीनाक्षी लोखी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित

5.	श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन)विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
6.	श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य का भारतीय पशु चिकित्सा परिवद (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
7.	श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
8.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
9.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
10.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
11.	श्री जैदेव गल्ला, संसद सदस्य का आंग्रे प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	डॉ मनोज राजेरिया, संसद सदस्य का राजस्थान राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
13.	डॉ मनोज राजेरिया, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
14.	श्री दीपेन्द्र हुड्डा, संसद सदस्य का सशस्त्र बल (एक रैक एक पैशन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
15.	श्री रघव लखनपाल, संसद सदस्य का वैज्ञानिक और नवाचार अनुसंधान अकादमी (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
16.	डॉ मनोज राजेरिया, संसद सदस्य का भारतीय जल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
17.	डॉ मनोज राजेरिया, संसद सदस्य का उच्च न्यायालय (राजभाषाओं का प्रयोग) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
18.	श्री गोपाल चिनव्या शेट्टी, संसद सदस्य का विवाहों में अपव्यय और असीमित व्यय का निवारण विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित

19.	श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
20.	श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
21.	श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
22.	श्री गोपाल चिनच्या शेट्टी, संसद सदस्य का विद्युत (महानगरीय क्षेत्रों को अग्रता प्रदाय) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
23.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य का निक्षेप बोमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
24.	श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का ऑटोअॅम स्पेक्ट्रम विकार (मान्यता और उपचार) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
25.	श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का किसानों के परिवार (वित्तीय सहायता और पुनर्वास) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित

II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज ( चिकित्सीय और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
27.	श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का स्तन कैंसर ( जागरूकता और निःशुल्क उपचार) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
28.	सुश्री सुमिता देव, संसद सदस्य का संविधान ( संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
29.	सुश्री सुमिता देव, संसद सदस्य का वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण ( संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
II		II						12
30.	श्री अजय मिश्रा 'टेनी', संसद सदस्य का राजकीय महिला महाविद्यालय की अनिवार्य स्थापना विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
31.	श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य का कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र ( विनियमन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित

32.	श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य का गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों (पढ़ों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
33.	श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का आर्मेनिक संदूषण (निवारण) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
34.	श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का स्वैच्छिक संगठन (विनियमन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
35.	श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
36.	श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का युवक (बेरोजगारी का उन्मूलन और विविध उपबंध) विधेयक, 2016	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
37.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, संसद सदस्य का लोक सम्पत्ति नुकसानी निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
38.	श्री श्रीरंग आप्पा वारणे, संसद सदस्य का फसल उत्पाद के संरक्षण का अधिकार विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	श्री श्रीरंग आपा बारणे, संसद सदस्य का विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
40.	श्री श्रीरंग आपा बारणे, संसद सदस्य का खिलाड़ी (कल्याण) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
41.	श्री श्रीरंग आपा बारणे, संसद सदस्य का अनिवार्य मतदान विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
42.	श्री एंटी० नाना पाटील, संसद सदस्य का कपास उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
43.	श्री एंटी० नाना पाटील, संसद सदस्य का केला उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
44.	श्री राजीव सातव, संसद सदस्य का महाराष्ट्र राज्य को विशेष चित्तीय सहायता विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
45.	श्री राजीव प्रताप रुडी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
46.	श्री राजीव प्रताप रुडी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित



1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	श्री ओम विरला, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
55.	श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य का शिक्षा संबंधी विशेष निःशक्तता से ग्रस्त बालक(पहचान और शिक्षा में सहायता) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
56.	श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य का वरिष्ठ नागरिकों, मंदवुद्धि बालकों और निःशक्त व्यक्तियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
57.	श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य का यथोचित आवासन का अधिकार विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
58.	श्री राजीव सातव, संसद सदस्य का अखिल भारतीय सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 2016	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
59.	श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित



1	2	3	4	5	6	7	8	9
68.	श्री रमेश चन्द्र कौशिक, संसद सदस्य का गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे, माता-पिता की बालिकाओं को वित्तीय सहायता विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
69.	डॉ० उदित राज, संसद सदस्य का विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
70.	श्री महेश गिरी, संसद सदस्य का प्रभावित तीर्थयात्रियों के लिए एकसमान बीमा विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
71.	श्री महेश गिरी, संसद सदस्य का महिलाओं का अनावश्यक सीजेंटियन सेवान प्रसव से संरक्षण विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
72.	श्री गोपाल चिनव्या शेट्टी, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
73.	श्री गोपाल चिनव्या शेट्टी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017,	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित



1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.	श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य का धार्मिक संस्थाओं और उपासना स्थलों का प्रबंध विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
82.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का नियोजन विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
83.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का हिंसात्मक और अवशिष्ट ऑनलाइन गेम (वितरण, विक्रय और विज्ञापन का प्रतिषेध) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
84.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का अवैध आप्रवासी (पहचान और विवासन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
85.	श्री वी. विनोद कुमार, संसद सदस्य का कृषिगत आदान अनुदानों का संदाय, विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
86.	श्री कुंवर पुर्णेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य का आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकायें, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित

87.	श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य का हुट्टा गोवंश ( संरक्षण और नियंत्रण ) बोर्ड विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
88.	श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य का बुद्देलखंड रेजीमेंट विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
89.	श्री धनंजय बी० महाडीक, संसद सदस्य का विद्यालयों में अनिवार्य खेल शिक्षा और वृन्यादी अवसंरचना विकास विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
90.	श्री राम मोहन किंजरापु, संसद सदस्य का रेल (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
91.	डॉ० उदित राज, संसद सदस्य का मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
92.	डॉ० उदित राज, संसद सदस्य का आवासहीनता निराकरण विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित
93.	श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लम्बित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.	श्री ऐरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य का केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी (अनिवार्य राष्ट्रीय विपदा अनुक्रिया प्रशिक्षण) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
95.	श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का जैव-अवक्रमणीय पैकेजिंग समग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
96.	श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य का समय-परिक्षेत्र पुनर्गठन विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
97.	श्री रघव लखनपाल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	- -	-	-	लम्बित
98.	श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017	29.12.2017	-	-	क्रमांक 1- से 98 तक विधेयकों के पुरास्थापन के लिए 0-56 मिनट लगे।	-	-	लम्बित

99. श्री विनसेंट एच पाला, संसद सदस्य का संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015	4.12.2015	-	5.8.2016 ( 9वां सत्र )	1-36 ( 9वें सत्र के दौरान लिए गए 24.3.2017 1 घंटा 52 मिनट तथा 7.4.2017 ( 11वां सत्र ) के दौरान लिए गए 21.7.2017 ( 12वां सत्र ) 12वें सत्र के दौरान लिए गए 29.12.2017 1 घंटा 15 मिनट के अतिरिक्त )	-	-	विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा पूरी नहीं हुई । लंबित ।
---	-----------	---	---------------------------	--	---	---	--

## सारांश

(गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक)

1. पिछले सत्र के अंत में लम्बित विधेयक	:	708
2. पुरःस्थापित विधेयक	:	98
3. वापस लिए गए विधेयक	:	शून्य
4. अस्वीकृत किए गए विधेयक	:	शून्य
5. लम्बित विधेयकों के रजिस्टर से हटाए गए विधेयक	:	13
6. विधेयक जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	:	2 <sup>#</sup>
7. सत्र के अंत में लम्बित विधेयक, देखिए दिनांक 25.01.2018 के समाचार-भाग दो का पैरा सं 6364	:	804

---

<sup>#</sup>राज्य सभा द्वारा यथापरित विपरीतिलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014, जिस पर 9वें सत्र के दौरान आंशिक रूप से चर्चा हुई।

### 3. लोक सभा (16वीं लोक सभा का 13वां सत्र) की बैठकें रद्द किया जाना

विषय	दिनांक	टिप्पणियां
सोमवार, 01 जनवरी, 2018 को निर्धारित बैठक रद्द किया जाना।	29.12.2017	29 दिसंबर, 2017 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समिति की सिफारिश पर सोमवार, 01 जनवरी, 2018 को निर्धारित बैठक रद्द करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्षपीठ द्वारा 29 दिसंबर, 2017 को इस आशय की घोषणा की गई। तदनुसार, सोमवार, 01 जनवरी, 2018 के लिए निर्धारित बैठक रद्द कर दी गई।

**4. समितियां**  
**(एक) वित्तीय समितियां**

क्रमांक समिति का नाम	गठन की तारीख	बैंडकों की संख्या	अवधि घं मि०	सदस्यों की उपस्थिति का औसत प्रतिशत	किए गए अध्ययन दोर/ स्थानीय दोरे	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन			टिप्पणियां
						मूल	की-गई-	की-गई-	
						कार्यवाही	कार्यवाही	विवरण	
1. प्रावक्कलन समिति	01.05.2017	-	-	-	-	2	2	-	-
2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	01.05.2017	-	-	-	-	-	2	-	-
3. लोक लेखा समिति (2017-18)	01.05.2017	1 00	35	55%	-	1	4	-	-

(दो) स्थायी समितियां

क्रमांक	समिति का नाम	गठन की तारीख	बैठकों की संख्या	अवधि		सदस्यों की उपस्थिति का औसत प्रतिशत	किए गए अध्ययन दौरे/ स्थानीय दौरे	प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन			टिप्पणियां
				घं	मि.			मूल	की-गई-	की-गई-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	कृषि संबंधी समिति	1.9.2017	1	01	00	41.93%	-	1	3	2	-
2.	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	1.9.2017	1	00	40	48%	-	2	1	4	-
3.	कोयला और इस्पात संबंधी समिति	1.9.2017	1	00	30	64.28%	-	2	1	-	-
4.	रक्षा संबंधी समिति	1.9.2017	-	-	-	-	-	2	-	-	-
5.	ऊर्जा संबंधी समिति	1.9.2017	1	01	30	45.16%	-	-	-	-	-
6.	विदेशी मामलों संबंधी समिति	1.9.2017	2	02	55	48.33%	-	-	3	-	-
7.	वित्त संबंधी समिति	1.9.2017	1	01	00	54.84%	-	2	5	-	-
8.	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	1.9.2017	-	-	-	-	-	-	2	-	-



(तीन) वित्तीय और स्थायी समितियों से भिन्न समितियां

क्रमांक	समिति का नाम	गठन की तारीख	बैठकों की संख्या	अवधि		सदस्यों की उपस्थिति का औसत प्रतिशत	किए गए अध्ययन दौरे/ स्थानीय दौरे	प्रस्तुति किए गए प्रतिवेदन			टिप्पणियां
				घं	मि			मूल	की-गई-	की-गई-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	1.9.2017	1	00	25	60%	—	1	—	—	—
2.	आवास समिति	12.6.2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	15.9.2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	विशेषाधिकार समिति	1.9.2014/ 1.09.2017	1	00	42	—	6	—	—	—	—
5.	आचार समिति	12.8.2015/ 12.8.2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	लोक सभा के सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमाननापूर्ण संबंधी समिति	15.9.2014	—	—	—	—	—	3	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	15.9.2017	2	00	50	55.66%	—	2	—	—
8.	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	1.9.2017	1	01	15	60%	—	1	1	—
9.	सभा पट्टन पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	1.9.2017	1	01	15	46.60%	—	4	—	—
10.	लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति	11.12.2014	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	नियम समिति	1.9.2014	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	सामाज्य प्रयोजनों संबंधी समिति	29.1.2015	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और संसदविदों के चित्र/प्रतिमाएं लगाने संबंधी संयुक्त समिति	8.10.2014	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	संसद भवन परिसर में खान-पान व्यवस्था संबंधी संयुक्त समिति	15.9.2016	—	—	—	—	—	—	—	—

30

15.	संसद भवन परिसर के विरासत स्वरूप के रख-रखाव और विकास संबंधी समिति	08.10.2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	01.05.2017 (2017-18)	2	2	45	33.60%	-	2	2	-	-	-
17.	ग्रंथालय समिति	12.11.2017	01	01	15	33%	-	-	-	-	-	-
18.	कार्यान्त्रणा समिति	13.06.2014 तथा 22.6.2017 को पुनर्गठित	3	01	20	57.77%	-	3	-	-	-	-
19.	संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति	26.10.2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	1.9.2017	2	03	30	50%	-	6	-	-	-	-
21.	याचिका समिति	1.9.2014	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-
22.	महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	1.9.2017	2	02	10	51.60%	-	2	-	-	-	-
23.	रेल अभियान समिति	27.4.2015	1	00	30	46.66%	-	2	2	-	-	-



## 5. मत विभाजन

क्रम सं०	दिनांक	विषय-वस्तु	अंतिम परिणाम	टिप्पणी
1.	28.12.2017	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 की खंड सं० 2 के संबंध में श्री असादुदीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 6 पर एवीआर मशीन द्वारा मत विभाजन किया गया।	पक्ष में - 002 विपक्ष में - 251	संशोधन अस्वीकृत हुआ
2.		मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 की खंड सं० 4 के संबंध में श्री असादुदीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 7 पर एवीआर मशीन द्वारा मत विभाजन किया गया।	पक्ष में - 001 विपक्ष में - 249	संशोधन अस्वीकृत हुआ
3.		मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 की खंड सं० 4 के संबंध में डॉ. ए० सम्पत, संसद सदस्य द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 16 पर एवीआर मशीन द्वारा मत विभाजन किया गया।	पक्ष में - 003 विपक्ष में - 252	संशोधन अस्वीकृत हुआ
4.		मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 की खंड सं० 5 के संबंध में डॉ. ए० सम्पत, संसद सदस्य द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 17 पर एवीआर मशीन द्वारा मत विभाजन किया गया।	पक्ष में - 005 विपक्ष में - 251	संशोधन अस्वीकृत हुआ
5.		मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 की खंड सं० 6 के संबंध में श्री असादुदीन ओवैसी संसद सदस्य द्वारा पेश किए गए संशोधन सं० 8 और 9 पर एवीआर मशीन द्वारा मत विभाजन किया गया।	पक्ष में - 001 विपक्ष में - 253	संशोधन अस्वीकृत हुआ

## 6. वित्तीय कार्य

विषय	प्रस्तुत किए जाने की तारीख	चर्चा की तारीख(तारीखें)	लिया गया समय		
			घंटा	मिनट	
<b>बजट</b>					
(i) वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग— (दूसरा बैच)	18.12.2017	21.12.2017	वर्ष 2017-2018 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (दूसरा बैच) पर चर्चा तथा मतदान	5	30
(ii) वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग—(तीसरा बैच)	4.1.2018	4.1.2018	वर्ष 2017-2018 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (तीसरा बैच) पर चर्चा तथा मतदान	1	03

## 7. उप-निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य

सदस्य का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/राज्य	निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख	रिक्ति जिसके प्रति निर्वाचित घोषित किया गया
श्री सुनील कुमार जाखड़	गुरदासपुर/पंजाब	15.10.2017	श्री विनोद खना के 27.04.2017 को निधन होने के कारण उनके स्थान पर।

## 8. शपथ/प्रतिज्ञान

सदस्य का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा जिसमें शपथ/ प्रतिज्ञान ली गई	शपथ/प्रतिज्ञान की तारीख	लिया गया समय
					घंटा मिनट
श्री सुनील कुमार	गुरदासपुर/ਪंजाब जाखड़	शपथ	पंजाबी	15.12.2017	00 02

## 9. सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

क्रम सं	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की तारीख	माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने की तारीख
1.	श्री योगी आदित्यनाथ	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	21.09.2017	18.12.2017
2.	श्री केशव प्रसाद मौर्य	फूलपुर	उत्तर प्रदेश	21.09.2017	18.12.2017
3.	श्री नाना पटोले	भंडारा-गॉदिया	महाराष्ट्र	14.12.2017	18.12.2017

## 10. लोक सभा में सीटों का रिक्त होना

क्रम सं	सदस्य/निर्वाचन क्षेत्र/ राज्य का नाम	तारीख जिस दिन स्थान रिक्त हुआ हो	टिप्पणी
1.	श्री सुल्तान अहमद उलुबेरिया/पश्चिम बंगाल	04.09.2017	04.09.2017 को निधन हुआ। ( 15.12.2017 को सभा में निधन संबंधी उल्लेख किया गया)
2.	श्री चांद नाथ अलवर/राजस्थान	17.09.2017	17.09.2017 को निधन हुआ। ( 15.12.2017 को सभा में निधन संबंधी उल्लेख किया गया)
3.	श्री तसलीम उद्दीन अरारिया/बिहार	17.09.2017	17.09.2017 को निधन हुआ। ( 15.12.2017 को सभा में निधन संबंधी उल्लेख किया गया)
4.	श्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर/उत्तर प्रदेश	21.09.2017	21.09.2017 को त्यागपत्र दिया। ( 18.12.2017 को सभा में घोषणा की गई)
5.	श्री केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर/उत्तर प्रदेश	21.09.2017	21.09.2017 को त्यागपत्र दिया। ( 18.12.2017 को सभा में घोषणा की गई)
6.	श्री नाना पटेल भांडारा-गोदिया/महाराष्ट्र	14.12.2017	14.12.2017 को त्यागपत्र दिया। ( 18.12.2017 को सभा में घोषणा की गई)

## 11. निधन संबंधी तथा अन्य उल्लेख

### (एक) निधन संबंधी उल्लेख

क्रमसं.	सदस्य/गणमान्य का नाम	निधन की तारीख	निधन संबंधी उल्लेख की तारीख		लिया गया समय घंटा मिनट
			घंटा	मिनट	
1.	*श्री सुलतान अहमद (वर्तमान सदस्य और सदस्य, 15वीं लोक सभा)	04.09.2017			
2.	*श्री चांद नाथ (वर्तमान सदस्य लोक सभा)	17.09.2017			
3.	*श्री तसलीम उद्दीन (वर्तमान सदस्य और सदस्य, 9वीं, 11वीं, 12वीं और 14वीं लोक सभा)	17.09.2017			39
4.	श्री विक्रम महाजन (सदस्य, चौथी, 5वीं और 7वीं लोक सभा)	11.08.2016			
5.	श्री राम सिंह (सदस्य, 9वीं लोक सभा)	10.08.2017			
6.	श्री आर० कीर्णिंगा (सदस्य, पहली और तीसरी लोक सभा)	22.08.2017			

\*सभा 15.12.2017 को पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

क्रंसं	सदस्य/गणमान्य का नाम	निधन की तारीख	निधन संबंधी उल्लेख की तारीख	लिया गया समय	
				घंटा	मिनट
7.	श्री पी० सी० बर्मन (सदस्य, तीसरी लोक सभा)	27.08.2017	15.12.2017	00	11
8.	श्री धनराज सिंह (सदस्य, 9वीं लोक सभा)	12.10.2017			
9.	श्री अमल दत्ता (सदस्य, 7वीं से 10वीं लोक सभा)	20.10.2017			
10.	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (सदस्य, 5वीं, 8वीं, 11वीं, 13वीं और 14वीं लोक सभा)	20.11.2017			40
11.	श्री महेन्द्र सिंह (सदस्य, 8वीं लोक सभा)	11.09.2017			
12.	श्री पुरुषोत्तम कौशिक (सदस्य, छठी और 9वीं लोक सभा)	05.10.2017	21.12.2017	00	05
13.	श्री एस० एस० कोठारी (सदस्य, 14वीं लोक सभा)	07.11.2017			

(दो) दुःखद घटनाओं संबंधी उल्लेख

क्र०सं०	अवसर का नाम	घटना की तारीख	उल्लेख की तारीख	लिया गया समय	
				घंटा	मिनट
1	2	3	4	5	
1.	विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में नाव दुर्घटना में 21 व्यक्तियों के मारे जाने तथा कई अन्य व्यक्तियों के घायल होने संबंधी उल्लेख।	12.11.2017			
2.	तमिलनाडु, केरल, लक्ष्मीपुर, महाराष्ट्र और गुजरात के कई भागों में ओरखी चक्रवात के कारण कई व्यक्तियों के मारे जाने तथा कई अन्य व्यक्तियों के घायल होने तथा बड़े पैमाने पर हुई संपत्ति की क्षति संबंधी उल्लेख।		दिसम्बर, 2017		
3.	संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, फ्रांस, स्पेन, अफगानिस्तान, मिश्र तथा नाइजीरिया और विश्व भर के कई अन्य स्थानों में हुए आतंकी हमलों के परिणामस्वरूप निरीह लोगों के मारे जाने तथा अन्य व्यक्तियों के गंभीर रूप से घायल होने तथा बड़े पैमाने पर हुई संपत्ति की क्षति संबंधी उल्लेख।		-		

1	2	3	4	5
4.	मेक्सिको में आए दो बड़े भूकंपों में 348 व्यक्तियों के मारे जाने संबंधी उल्लेख।	07.09.2017 और 19.09.2017		
5.	ईरान-इराक सीमा पर आए विध्वंसक भूकंप के कारण कई व्यक्तियों की मौत संबंधी उल्लेख।	12.11.2017	18.12.2017	00 06
6.	फिलीपीन्स के दक्षिणी भागों तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में टैंबिन/विंटा नामक बड़े चक्रवात में 266 से अधिक व्यक्तियों के हताहत होने तथा बड़े पैमाने पर हुई संपत्ति की क्षति संबंधी उल्लेख।	22.12.2017		
7.	राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी में बस पिर जाने के कारण 33 व्यक्तियों के मारे जाने तथा कई अन्य व्यक्तियों के घायल होने संबंधी उल्लेख।	23.12.2017	29.12.2017	00 03
8.	जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बल के शिविर पर हुए आतंकी हमले में 5 सीआरपीएफ सुरक्षा कर्मियों की जान जाने संबंधी उल्लेख।	31.12.2017	02.01.2018	00 01

(तीन) महत्वपूर्ण अवसरों पर बधाई उल्लेख

क्रमसं.	अवसर का नाम	अवसर की तारीख	उल्लेख की तारीख	लिया गया समय
1	2	3	4	घंटा मिनट
1.	दाका, बांग्लादेश में फाइनल में मलेशिया को हराकर एशिया कप जीतने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई देने संबंधी उल्लेख।	22.10.2017		
2.	काकामिगाहारा, जापान में चीन को हराकर एशिया कप जीतने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई देने संबंधी उल्लेख।	05.11.2017		
3.	होचिमिन्ह सिटी, वियतनाम में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय बॉक्सर तथा राज्य सभा सदस्य मेरीकॉम को बधाई देने संबंधी उल्लेख।	08.11.2017		
4.	अनाहीम, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के लिए भारतीय वेटलिफ्टर, मीरा बाई चानू को बधाई देने संबंधी उल्लेख।	30.11.2017	18.12.2017	00 02

1	2	3	4	5
5.	दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स में 17 गोल्ड, 14 सिल्वर और 13 ब्रांज मेडल जीतने के लिए भारतीय दल को बधाई देने संबंधी उल्लेख	08.12.2017 से 14.12.2017	22.12.2017	00 01

## 12. सभापति तालिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	नियुक्ति/नामनिर्देशन की तारीख
1.	श्री अर्जुन चरण सेठी	09.06.2014 *
2.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	
	प्रो० के०वी० थॉमस\$	
3.	श्री आनन्दराव अडसुल	
4.	श्री प्रह्लाद जोशी	
5.	डॉ० ( श्रीमती) रत्ना डे ( नाग )	
6.	श्री रमेन डेका	
7.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव	
8.	श्री हुकुम सिंह	
9.	डॉ० पी० वेणुगोपाल	
10.	श्री के०एच० मुनियप्पा	12.12.2014 ^

\* माननीय अध्यक्ष ( श्रीमती सुमित्रा महाजन ) द्वारा नामनिर्दिष्ट । दिनांक 09.06.2014 को सभा में घोषणा की गई ।

\$ 12.12.2014 से सभापति तालिका के सदस्य नहीं रहे ।

^ माननीय अध्यक्ष ( श्रीमती सुमित्रा महाजन ) द्वारा नामनिर्दिष्ट । दिनांक 12.12.2014 को सभा में घोषणा की गई ।

**13. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

- (क) सरकार द्वारा ..... 2255  
(ख) गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा ..... कोई नहीं

#### 14. नियम 357 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण

वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने वाले सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	दिनांक
श्री अनंत कुमार हेगड़े	उनके द्वारा की गई कतिपय टिप्पणियों के संबंध में। उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी।	28.12.2017

## 15. याचिका

प्रस्तुत की गई याचिका - 01

## 16. सभा में सदस्यों द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार के मामले

क्र०	संक्षिप्त विषय	मामला उठाने वाले सदस्यों तारीख और समय जब के नाम	मामला सभा के समक्ष लाया गया	अध्यक्षपीठ/सभा का निर्णय
1.	अपने संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान श्री राजेश रंजन उर्फ पण्‌या यादव, संसद सदस्य के साथ शिवा हास्पिटल प्रशासन तथा पटना के पुलिस प्रशासन द्वारा कथित रूप से किए गए दुर्ब्यहार के विरुद्ध उनके द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार भंग करने का प्रश्न।	श्री राजेश रंजन	19 दिसंबर, 2017 को 1250 बजे	
2.	अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संसद सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपनी एमपीलैड निधि के संवितरण को कथित रूप से चुनौती देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विरुद्ध श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया, संसद सदस्य द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार भंग करने का प्रश्न।	श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया	4 जनवरी, 2018 को 1240 बजे	मामला मानीय अध्यक्ष के विचाराधीन है।

## 17. प्रश्न

सोलहवीं लोक सभा के 13वें सत्र के दौरान “लोक सभा द्वारा किए गए कार्य का सारांश”  
में शामिल करने हेतु प्रश्नों से संबंधित सूचना

(एक)	तारांकित प्रश्न		
	(क) मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में शामिल किए गए प्रश्न	280	
	(ख) मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या	45#	
(दो)	अतारांकित प्रश्न		
	लिखित उत्तरों के लिए प्रश्न-सूचियों में शामिल किए गए प्रश्नों की संख्या	3220@	
(तीन)	सभा पटल पर रखे गए उत्तर प्रश्नों की संख्या जिनके लिए लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए (तारांकित प्रश्न 234+ अतारांकित प्रश्न 3214)	3448	50
(चार)	अल्प सूचना प्रश्न		
	(क) प्राप्त अल्प सूचना प्रश्नों की संख्या	10	
	(ख) गृहीत अल्प सूचना प्रश्नों की सूचनाओं की संख्या	कोई नहीं	
	(ग) तारांकित प्रश्नों के साथ जोड़े गए अल्प सूचना प्रश्नों की सूचनाओं की संख्या	कोई नहीं	
	(घ) अस्वीकृत अल्प सूचना प्रश्नों की सूचनाओं की संख्या	10	
(पांच)	आधे घंटे की चर्चा		
	(क) प्राप्त की गई आधे घंटे की सूचनाओं की संख्या	2	

(ख) गृहीत की गई आधे घंटे की सूचनाओं की संख्या	कोई नहीं
(ग) ऐसी सूचनाओं की संख्या जिन पर आधे घंटे की चर्चा हुई	कोई नहीं
(घ) आधे घंटे की चर्चा की अस्वीकृत/व्यपगत सूचनाओं की संख्या	2
(छ) मंत्री द्वारा पहले ही दिए गए उत्तरों में शुद्धि करने वाला वक्ताव्य शुद्धि किए गए उत्तरों की संख्या	2

#03 जनवरी, 2018 को तारांकित प्रश्न सं° 221 के साथ दिए गए प्रश्न सं° 235 के उत्तर को छोड़कर।

@सदस्य (श्री नाना पटेल) के त्यागपत्र के कारण हटाए गए 06 प्रश्न सहित।

(सात) लोक सभा में मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के पहले ही दिए गए उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य (वक्तव्यों) का सार

क्रमसं.	उत्तर में शुद्धि किए जाने की तारीख	जिनके द्वारा वक्तव्य दिया गया	प्रश्न सं. जिनका वक्तव्य दिया गया	प्रश्न के उत्तर की तारीख	प्रश्न का विषय
1.	04.01.2018	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	ताप्र० संख्या 55	19.12.2017	“दाल की कीमतों में वृद्धि”
2.	05.01.2018	ग्रामीण विकास मंत्रालय	अता० प्र० संख्या 2831	04.01.2018	“आंध्र प्रदेश में डीआईएलआरएमपी का कार्यान्वयन”

## 18. संकल्प

### (एक) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

क्र० सं०	विषय सदस्य का नाम	प्रस्ताव पेश करने वाले	प्रस्ताव करने तथा चर्चा करने की तारीख(खें)	लिया गया समय घं० मि०	मंत्रालय/ विभाग	टिप्पणी
		1	2	3	4	5
1.	<p>इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि—</p> <p>(एक) 1950 के बाद से, देश के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे, बंगलौर और चंडीगढ़ स्थित विविध रक्षा स्थापनाओं में और उनके आस-पास बड़ी संख्या में आवासीय भवनों का निर्माण हो चुका है, जो आज पूर्णतया जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और उनके अविलंब पुनरुद्धार की आवश्यकता है;</p> <p>(दो) रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख को जारी परिपत्र में रक्षा स्थापनाओं से एक निश्चित दूरी पर भवन-निर्माण के लिए “अनापति प्रमाण-पत्र” (एनओसी) जारी करने के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है; और</p> <p>(तीन) उनकी रक्षा स्थापनाओं के आस-पास स्थित पुराने घरों और भवनों के पुनरुद्धार पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।</p>	श्री गोपाल चिनच्या शेट्टी	28.07.2017 (12वां सत्र) 22.12.2017	0 24 (12वें सत्र के दौरान लिए गए 33 मिनट)	रक्षा	सभा की अनुमति से 29.12.2017 को वापस को छोड़कर)

1	2	3	4	5	6		
2.	यह सभा हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है जिसकी ओर यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके परिणामस्वरूप अगले 50 वर्षों में जनसांख्यिकीय विस्फोट होगा, और सरकार से आग्रह करती है कि वह जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य से यथाशीघ्र कठोर नीति कार्यान्वित करें।	श्री राधव लखनपाल	22.12.2017	1	54	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	चर्चा पूरी नहीं हुई।

(दो) सांविधिक संकल्प

क्रम सं०	संकल्प का पाठ	संविधान/ अधिनियम का अनुच्छेद/ धारा	प्रस्ताव करने वाले सदस्य का नाम	प्रस्ताव पेश करने तथा चर्चा करने की तरीख	लिया गया		संबंधित मंत्रालय/ विभाग	टिप्पणी
					समय	घ० मि०		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 नवम्बर, 2017 को प्रख्यापित भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश 95 संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।	अनुच्छेद 123	श्री एन०क० प्रेमचन्द्रन	20.12.2017	3	07*	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	अस्वीकार किया गया।
2.	कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 सितम्बर, 2017 को प्रख्यापित माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।	अनुच्छेद 123	श्री एन०क० प्रेमचन्द्रन	27.12.2017	1	22\$	वित्त	अस्वीकार किया गया।
3.	कि यह सभा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की उप-धारा (3)के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अनुसरण में 17 नवम्बर, 2017 को जारी अधिसूचना सं० 88/2017-सीशु [17 नवम्बर 2017 का सं० का नि० 1431(अ)] जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 12011000 और 12019000 के अधीन सोयाबीन के लिए आधारभूत सीमा शुल्क की दर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करना है, का अनुमोदन करती है।	सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8क (1)	श्री अरुण जेटली	28.12.2017	0	01	वित्त	स्वीकार किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	देखें अनुबंध-एक	सीमा-शुल्क ट्रैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8क (1)	श्री अरुण जेटली	28.12.2017	0 01	वित्त	स्वीकार किया गया।
5.	“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 नवम्बर, 2017 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।”	अनुच्छेद 123	श्री एन-के° प्रेमचन्द्रन	29.12.2017	2 23@	कॉर्पोरेट कार्य	वापस लिया गया।
6.	देखें परिशिष्ट-दो	सीमा-शुल्क ट्रैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8क (1)	श्री शिव प्रताप शुक्ला	2.1.2018	0 01	वित्त	स्वीकार किया गया।

95

\* भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचारार्थ प्रस्ताव सहित सांविधिक संकल्प पर एक साथ चर्चा की गई।

§ वस्तु एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017 पर विचारार्थ प्रस्ताव सहित सांविधिक संकल्प पर एक साथ चर्चा की गई।

@ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचारार्थ प्रस्ताव सहित सांविधिक संकल्प पर एक साथ चर्चा की गई।

## अनुबंध एक

“यह सभा एतद्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अनुसरण में, 27 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 80/2017 - सीमा शुल्क [27 अक्टूबर, 2017 का सांकार्णि० 1339 (अ)] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर आधारभूत सीमा शुल्क की दर में वृद्धि करना है, का अनुमोदन करती है:—

(क) 10/15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत:

टैरिफ शीर्ष	विवरण
1	2
5003	रेशम अवशिष्ट (रीलिंग के लिए अनुपयुक्त कुकून, यार्न वेस्ट और गारनेटेड स्टॉक सहित)।
5004	खुदरा बिक्री के लिए अनुपलब्ध रेशम धागा (रेशम अपशिष्ट से बुने हुए धागे के अतिरिक्त)।
5005	खुदरा बिक्री के लिए अनुपलब्ध रेशम अवशिष्ट से बुना गया धागा।
5006	रेशम धागा और रेशम अवशिष्ट से बुना गया धागा खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध, रेशम कीट की आंत
5007	रेशम या रेशम अवशिष्ट से बुना कपड़ा।
5101	ऊन जो कॉर्डेंड या काम्ब्ड न हो।
(टैरिफ शीर्ष 5101, 2100, 5101 3000 को छोड़कर)	
5102	महीन या खुदरा पशु केश जो कॉर्डेंड या काम्ब्ड न हो।
5103	ऊन या महीन या खुदरा पशु केश का अवशिष्ट जिसमें यार्न वेस्ट शामिल है लेकिन गारनेटेड स्टॉक शामिल नहीं है (शॉनवूल और कॉर्बोनाइज्ड ऊन के अतिरिक्त)।

1	2
5109	ऊन या महीन पशु केश का धागा, खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध।
5110	खुरदरे पशु केश या अश्व केश से बना धागा (जिसमें गिमपेड हार्स हेयर यार्न भी शामिल है) चाहे वह खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध हो या न हो।
5111	काम्ब्ड ऊन या कारडेड महीन पशु केश से बुना कपड़ा।
5112	काम्ब्ड ऊन या काम्ब्ड महीन पशु केश से बुना कपड़ा।
5113	खुरदरे पशु केश या अश्व केश से बना कपड़ा।
5201	कॉटन जो कार्डेड या काम्ब्ड न हो।
5202	कॉटन वेस्ट (यार्न वेस्ट और गॉर्नेटेड स्टॉक सहित)।
5207	खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध सूती धागा (सिलाई के धागे के अतिरिक्त)।
5208	बुना हुआ सूती कपड़ा जिसमें सूत का वजन 85% या अधिक हो और जिसका वजन 200 ग्राम/वर्ग मीटर से अधिक न हो।
5209	बुना हुआ सूती कपड़ा जिसमें सूत का वजन 85% या अधिक हो और जिसका वजन 200 ग्राम/वर्ग मीटर से अधिक हो।
5210	बुना हुआ सूती कपड़ा जिसमें सूत का वजन 85% से कम हो और जिसमें मुख्यतः या एकमात्र मानव निर्मित फैब्रिक मिलाया गया हो और जिसका वजन 200 ग्राम/वर्ग मीटर से अधिक न हो।
5211	बुना हुआ सूती कपड़ा जिसमें सूत का वजन 85% से कम हो और जिसमें मुख्यतः या एकमात्र मानव निर्मित फैब्रिक मिलाया गया हो और जिसका वजन 200 ग्राम/वर्ग मीटर से अधिक हो।
5212	अन्य बुने हुए सूती वस्त्र।

5303	पटसन और अन्य टैक्सटाइल आधारित वस्त्र (फ्लैक्स, टू हैम्प और रैमिन) जो कच्चे माल या संसाधित रूप में हों लेकिन बुने हुए न हों: इन वस्त्रों के सन और अवशिष्ट (यार्न वेस्ट और गॉर्नेटेड स्टॉक सहित)।
5305	नारियल, अबाका (मनीला हैम्प या मूसा टैक्सटाइल नी) रैमी और अन्य वेजीटेबल टैक्सटाइल फाइबर, जो कहीं और विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं, जो कच्चे माल या संसाधित रूप में हों लेकिन बुने हुए न हों: इन वस्त्रों के सन, नॉइल और अवशिष्ट (यार्न वेस्ट और गॉर्नेटेड स्टॉक सहित)।
5306	फ्लैक्स यार्न।
5307	पटसन या शीर्ष 5303 के अन्य टैक्सटाइल आधारित फाइबर।
5308	अन्य वेजीटेबल फाइबर के धागे, पेपर यार्न।
5309	फ्लैक्स यार्न।
5310	पटसन या शीर्ष 5303 के अन्य टैक्सटाइल आधारित फाइबर से बुने वस्त्र।
5311	अन्य वेजीटेबल फाइबर से बुने वस्त्र, पेपर यार्न से बुने वस्त्र।
5407	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के बुने वस्त्र जिनमें शीर्ष 5404 के अधीन सामग्रियों से प्राप्त बुने हुए वस्त्र भी शामिल हैं।
5408	कृत्रिम फिलामेंट यार्न के बुने वस्त्र जिनमें शीर्ष 5405 के अधीन सामग्रियों से प्राप्त बुने हुए वस्त्र भी शामिल हैं।
5505	मानव निर्मित फाइबर का अवशिष्ट (नॉइल, धागा, अवशिष्ट और गॉर्नेटेड स्टॉक)।
5601	टैक्सटाइल सामग्रियों के अस्तर और उनके सामान, टैक्सटाइल फाइबर जो लंबाई में 5 मिमी से अधिक न हो (फ्लॉक) टैक्सटाइल डस्ट और मिल नेप्स।
5602	फेल्ट चाहे भरे हुए, कोटेड कवर्ड या लेमिनेटेड हों या नहीं।
5603	बिना बुने वस्त्र चाहे भरे हुए, कोटेड कवर्ड या लेमिनेटेड हों या नहीं।

---

1

2

- 5701 कालीन और अन्य टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, जो नटिड हों चाहे मेड अप हों या नहीं।
- 5702 कालीन और अन्य टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, जो बुनी हुई हों, टफ्टेड या फ्लॉकड न हों चाहे मेड अप हों या नहीं, इसमें 'केलम', 'स्कूमैक', करामानी' और समान प्रकार के हाथ से बुने गए एस आते हैं।
- 5703 कालीन और अन्य टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, जो टफ्टेड हो चाहे मेड अप हों या नहीं।
- 5704 फैलट के बने कालीन और अन्य टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, जो टफ्टेड या फ्लॉकड न हों फिर चाहे वे मेड अप हों या नहीं।
- 5705 अन्य कालीन और अन्य टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग फिर चाहे वे मेड अप हों या नहीं।
- 5801 शीर्ष 5802 या 5806 के फैब्रिक के अतिरिक्त अन्य वूवन फाइल फैब्रिक और शनील फैब्रिक।
- 5802 शीर्ष 5806 के नैरो फैब्रिक के अतिरिक्त अन्य वूवन फाइल फैब्रिक शीर्ष 5703 के उत्पादों के अतिरिक्त टफ्टेड टैक्सटाइल फैब्रिक। ३
- 5803 शीर्ष 5806 के नैरो फैब्रिक के अतिरिक्त गाज।
- 5804 शीर्ष 6002 से 6006 तक के फैब्रिक के अतिरिक्त ट्यूलिस और अन्य नेट फैब्रिक जिनमें वूवन, निटेड या क्रोशिया फैब्रिक, लेस के पीस, स्ट्रप या मोटिफ शामिल नहीं हैं।
- 5805 हाथ से बुने हुए गोल्डिक्स, फ्लैंडर्स, एबुसन, ब्यूवैस प्रकार के और इसी प्रकार के नीडल वर्क (जैसे पेटिट प्वाइंट, क्रास स्टिच) से तैयार टेपेस्ट्री चाहे तैयार हो या नहीं।
- 5806 शीर्ष 5807 के सामान के अतिरिक्त नैरो, वूवन फैब्रिक, एड्हेसिव द्वारा जोड़े गए, वार्प विदआउट वेप्ट वाले नैरो फैब्रिक।
- 5807 टैक्सटाइल सामग्रियों के लेबल, बैंज और अन्य इसी प्रकार के समान, पीस में, स्ट्रप में या विविध आकारों में कटे हुए, मगर जिन पर कढ़ाई न की गई हो।

- 5808 बिना कढ़ाई के निटेड या क्रोशिया से तैयार ब्रेड के पीस, सजावटी ट्रिमिंग्स के पीस, टसल्स, पॉम्पाम्स और इसी प्रकार की वस्तुएं।
- 5809 धातु के धार्गों के बुने हुए वस्त्र और शीर्ष 5605 के धात्विक यार्न का एक प्रकार जो वस्त्रों में फनिशिंग फैब्रिक या इसी प्रकार के समान उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कहीं और विर्निदिष्ट या शामिल नहीं हैं।
- 5810 टुकड़े, पट्टी या नमूनों में कढ़ाई।
- 5811 सिलाई या अन्यथा द्वारा पैंडिंग के साथ इकट्ठे किए गए वस्त्र सामग्री के एक या एक से अधिक परतों से बना टुकड़े में रखाई वाला कपड़ा उत्पाद, 5810 शीर्ष की कढ़ाई के अलावा।
- 5901 गोंद या मंडिल पदार्थों के साथ लेपित वस्त्र, जैसा कि पुस्तकों या ऐसी ही वस्तुओं के बाहरी आवरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है; ट्रेसिंग वस्त्र; तैयार चित्र कैनवास; टोपी के आधार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बुकरम और इसी प्रकार के कठोर वस्त्र।
- 5902 नायलॉन या अन्य पॉलीमाइड, पॉलीएस्टर्स या विस्कोस रेयान के उच्च तप यार्न वाले टायर तन्तु वस्त्र।
- 5903 5902 शीर्ष वाले कपड़ों के अलावा, प्लास्टिक के साथ प्रसंस्कृत, लेपित, कवर या परतदार वस्त्र।
- 5904 लिनोलियम, चाहे आकार के अनुरूप हो या नहीं; वस्त्र बैंकिंग पर लगाई जाने वाली कोटिंग या कवर से मिलकर बना फर्श आवरण, चाहे आकार के अनुरूप हो या नहीं।
- 5905 वस्त्र दीवार आवरण।
- 5906 शीर्ष वाले कपड़ों के अलावा 5902, रबर का बना वस्त्र।
- 5907 अन्यथा प्रसंस्कृत, लेपित या अनच्छादित वस्त्र; नाटकीय दृश्यों वाला विचित्र कैनवास, स्टूडियो बैक-क्लॉथ या ऐसे ही वस्त्र।

1	2
5908	लैंप, स्टोव, लाइटर, मोमबत्ती या ऐसी ही वस्तुओं के लिए बुनी, गुंथी या जोड़ी गई कपड़े की बत्ती, उनके लिए चमकीले गैस आवरण और नलीदार बुने हुए गैस आवरण वस्त्र, चाहे प्रसंस्कृत हों या नहीं।
5909	वस्त्र नली पाइपिंग और इसी प्रकार के वस्त्र चौंगे, अस्तर, कवच या अन्य प्रकार की सहायक सामग्रियों के साथ या उनके बिना।
5910	कपड़ा सामग्री के ट्रांसमिशन या कन्वेयर बेल्ट या बेल्ट, चाहे प्लास्टिक के साथ प्रसंस्कृत, लेकिन आच्छादित जोड़ा हो या नहीं, या धातु या अन्य सामग्री के साथ मज़बूत बनाया गया हो या नहीं।
5911	इस अध्याय के टिप्पणि 7 में विनिर्दिष्ट वस्त्र उत्पाद और सामग्री, तकनीकी उपयोग के लिए।
6001	बुने हुए या क्रोशिए की कढ़ाई वाले रोंडार वस्त्र, “लंबे रोंडे” और टैरी वस्त्र सहित।
6002	शीर्ष 6001 में उल्लिखित वस्त्रों के अलावा बुने हुए या क्रोशिए की कढ़ाई वाले वस्त्र, जिनकी चौड़ाई 30 सेमी <sup>o</sup> से अधिक न हो जिनमें इलेस्टोमर या रबर धागे का वजन 5 प्रतिशत से अधिक हो।
6003	शीर्ष 6001 और 6002 में उल्लिखित वस्त्रों के अलावा बुने हुए या क्रोशिए की कढ़ाई वाले वस्त्र, जिनकी चौड़ाई 30 सेमी <sup>o</sup> से अधिक न हो।
6004	शीर्ष 6001 में उल्लिखित वस्त्रों के अलावा बुने हुए या क्रोशिए, की कढ़ाई वाले वस्त्र, जिनकी चौड़ाई 30 सेमी से अधिक हो, जिनमें इलैस्टोमर या रबर धागे का वजन 5 प्रतिशत से अधिक हो।
6005	शीर्ष 6001 से 6004 में उल्लिखित वस्त्रों के अलावा वार्प निट वस्त्र।

- 6006 अन्य बुने हुए या क्रोशिए की कढ़ाई वाले वस्त्र।
- 6101 शीर्ष 6103 में उल्लिखित वस्त्रों के अलावा बुने हुए या क्रोशिए की कढ़ाई वाले पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, कारकोट, गले का वस्त्र, जामे, बरसाती कोट (स्की जैकेट सहित), विंड-शीटर, विंड जैकेट और अन्य सामान।
- 6102 शीर्ष 6104 में उल्लिखित वस्त्रों के अलावा बुने हुए या क्रोशिए की कढ़ाई वाले महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, कारकोट, गले का वस्त्र, जामे, बरसाती कोट (स्की जैकेट सहित) विंड-शीटर, विंड जैकेट और अन्य सामान।
- 6103 बुने हुए या क्रोशिए की कढ़ाई वाले पुरुषों या लड़कों के सूट, संपरिधान, जैकेट ब्लेज़र, ट्राउज़र, बिब और संपूर्ण ब्रेस, जांघिए और नेकर (तैराकी पोशाक के अलावा)।
- 6104 बुने हुए या क्रोशिए की कढ़ाई वाले महिलाओं या लड़कियों के सूट, संपरिधान, जैकेट, ब्लेज़र, ड्रेस, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट ट्राउज़र, बिब और संपूर्ण ब्रेस, जांघिए और नेकर (तैराकी पोशाक के अलावा)।
- 6105 पुरुषों या लड़कों की कमीज, निटेड या क्रोशिए से तैयार।
- 6106 महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, कमीज और शर्ट ब्लाउज, निटेड या क्रोशिए से तैयार।
- 6107 पुरुषों या लड़कों के अंडरपेंट, ब्रीफ, नाइट शट्स पजामा, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और इस प्रकार की अन्य वस्तुएं, निटेड या क्रोशिए से तैयार।
- 6108 महिलाओं या लड़कियों के शमीज, पेटीकोट, ब्रीफ, पैंटीज, नाइट ड्रेस, पाजामा, नेग्लीजी, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, निटेड या क्रोशिए से तैयार।
- 6109 टीशर्ट, सिंगलेट और अन्य वेस्ट, निटेड या क्रोशिए से तैयार।
- 6110 जर्सी, पुलोवर, कोर्डिंगन, वेस्ट, कोट और इसकी प्रकार की अन्य वस्तुएं निटेड या क्रोशिए से तैयार।
- 6111 बच्चों के कपड़े और क्लोदिंग एसेसरीज निटेड या क्रोशिए से तैयार।

1	2
6112	ट्रेक सूट, स्की सूट और तैराकी की पोशाक, निटेड या क्रोशिए से तैयार।
6113	शीर्ष 5903, 5906 या 5907 के अंतर्गत निटेड या क्रोशिए से तैयार फैब्रीक से बने वस्त्र।
6114	अन्य वस्त्र, निटेड या क्रोशिए से तैयार।
6115	पैंटी होज, वाई, स्टॉकिंग्स, जुराबें और अन्य होजरी वस्तुएं, जिसमें ग्रेजुएटेड कंप्रेशन होजरी (जैसे वैरीकोज वेन्स के लिए स्टॉकिंग्स) और एप्लाइड सोल के बिना तैयार फुटवियर, निटेड या क्रोशिए से तैयार।
6116	दस्ताने, मिटन और मिट, निटेड या क्रोशिए से तैयार।
6117	अन्य तैयार क्लोदिंग एसेसरीज, निटेड या क्रोशिए से तैयार, निटेड या क्रोशिए से तैयार वस्त्रों या क्लोदिंग एसेसरीज के अंश।
6201	पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, कारकोट, कोप, चोगे, अर्नोंक (स्काई जैकेट सहित) विन्डचिटर, विन्डजैकेट और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं जो शीर्ष 6204 के अतिरिक्त हैं।
6202	महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, कारकोट, कोप, चोगे, अर्नोंक (स्काई जैकेट सहित) विन्डचिटर, विन्डजैकेट और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं जो शीर्ष 6204 के अतिरिक्त हैं।
6203	पुरुषों या लड़कों के सूट, इनसेंबल, जैकेट, ब्लेजर, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरऑल, ब्रीच तथा शॉट्स (तैराकी पोशाक के अतिरिक्त)।
6204	महिलाओं या लड़कियों के सूट, इनसेंबल, जैकेट, ब्लेजर, ड्रेस, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरऑल, ब्रीच तथा शॉट्स (तैराकी पोशाक के अतिरिक्त)।
6205	पुरुषों या लड़कों की कमीज।

- 6206 महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, कमीज और शर्ट ब्लाउज।
- 6207 पुरुषों या लड़कों के सिंगलेट और अन्य वेस्ट्स, अंडरपेंट, ब्रीफ, नाइट शट्टर्स, पाजामा, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं।
- 6208 महिलाओं या लड़कियों के सिंगलेट और अन्य वेस्ट्स, शमीज, पेटीकोट, ब्रीफ, पैंटीज़, नाइट ड्रेस, पाजामा, नेगलीजी, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं।
- 6209 बच्चों के कपड़े और क्लोदिंग एसेसरीज।
- 6210 शीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906 या 5907 के फैब्रिक से तैयार वस्त्र।
- 6211 ट्रैक सूट, स्की सूट और तैराकी की पोशाक, अन्य वस्त्र।
- 6212 ब्रेज़ियर, गिर्डल्स, कोरसेट्स, ब्रेसेज़, ससपेंडर्स, गार्टर्स और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं और उनके अंश, चाहे निटेड या क्रोशिए से तैयार हों या नहीं।
- 6213 रूमाल।
- 6214 शॉल, स्कार्फ, मफलर, मंटीला, वेल और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं।
- 6215 टाई, बो टाई और क्रेवेट।
- 6216 दस्ताने, मिट्टन और मिट।
- 6217 शीर्ष 6212 के अतिरिक्त अन्य तैयार क्लोदिंग एसेसरीज, वस्त्रों या क्लोदिंग एसेसरीज के अंश।
- 6301 कम्बल और ट्रेवलिंग रग्स।
- 6302 बिस्तर की चादरें, मेजपोश, टॉयलेट लिनन और किचन लिनन।

1	2
6303	पर्दे (ड्रेप सहित) और अंदरूनी ब्लाइंड्स, पर्दे या बेड वेलेंसेज।
6304	शीर्ष 9404 के अतिरिक्त अन्य फर्नीशिंग की वस्तुएं।
6305	सामान या वस्तुओं की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक प्रकार के बोरे और थैले।
6306	तिरपाल, आँनिंग और सनब्लाइंट टैंट, नाव के लिए पाल, सेलबोर्ड या लैंडक्राफ्ट, कोपिंग की वस्तुएं।
6307	ड्रेस पैटर्न सहित अन्य तैयार वस्तुएं।
6308	दरी, टेपेस्ट्री, कढ़ाई किए हुए मेजपोश या थालपोश, बनाने के लिए बुने हुए फैब्रिक और धागे के सेट चाहे उनके साथ एसेसरीज हों या नहीं और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं जिन्हें खुदरा बिक्री के लिए एक साथ पैक किया गया हो।
6309	पहने हुए वस्त्र या अन्य पहनी हुई वस्तुएं।
6310	इस्तेमाल की जा चुकी या नई दरियां स्कैपट्वाइन, कोर्डेज, रस्सी और तार और ट्वाइन कोर्डेज, रस्सी या तार, टेक्सटाइल सामग्री के इस्तेमाल की हुई वस्तुएं।

(ख) 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत:—

ट्रैफ शीर्ष	विवरण
1	2
5104	ऊन या पशु के बारीक या भद्दे बाल का गारनेटेड स्टॉक।
5105	ऊन या पशु के बारीक या भद्दे बाल, कार्ड या काम्ब्ड (टुकड़ों में काम्ब्ड ऊन समेत)।
5106	कार्डेड ऊन की सूत, खुदरा बिक्री के लिए नहीं।
5107	काम्ब्ड ऊन की सूत, खुदरा बिक्री के लिए नहीं।

- 5108 जानवर के बारीक बाल की सूत (कार्डेंड या काम्ब्ड), खुदरा बिक्री के लिए नहीं।
- 5204 सूती वस्त्र को सीने वाली सूत, खुदरा बिक्री के लिए रखी गई अथवा नहीं।
- 5205 सूती धागा (सिलाई वाले धागे के अतिरिक्त) जिसमें सूत का वजन 85 प्रतिशत या उससे अधिक हो और जो खुदरा बिक्री के लिए अनुपलब्ध हो।
- 5206 सूती धागा (सिलाई वाले धागे के अतिरिक्त) जिसमें सूत का वजन 85 प्रतिशत से कम हो और जो खुदरा बिक्री के लिए अनुपलब्ध हो।
- 5401 मानव निर्मित फिलामेंट के सिलाई धागे चाहे वे खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध हो या नहीं।
- 5402 67 डेसीटेक्स से कम सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सहित सिंथेटिक फिलामेंट यार्न (सिलाई वाले धागे के अतिरिक्त) खुदरा बिक्री के लिए अनुपलब्ध।
- 5403 67 डेसीटेक्स से कम कृत्रिम मोनोफिलामेंट सहित कृत्रिम फिलामेंट यार्न (सिलाई के अतिरिक्त) खुदरा बिक्री के लिए ७ अनुपलब्ध।
- 5404 67 डेसीटेक्स या अधिक का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट जिसमें कोई भी क्रॉस सेक्षनल डाइमेंशन 1 मिमी से अधिक न हो स्ट्रैप और इसी प्रकार के सिंथेटिक टेक्सटाइल मटीरियल जिसकी चौड़ाई 5 मिमी से अधिक न हो से बनी वस्तुएं। (जैसे कृत्रिम स्ट्रा)।
- 5405 67 डेसीटेक्स या अधिक का कृत्रिम मोनोफिलामेंट जिसमें कोई भी क्रॉस सेक्षनल डाइमेंशन 1 मिमी से अधिक न हो स्ट्रैप और इसी प्रकार के कृत्रिम टेक्सटाइल मटीरियल जिसकी चौड़ाई 5 मिमी से अधिक न हो से बनी वस्तुएं। (जैसे कृत्रिम स्ट्रा)।
- 5406 मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (सिलाई धागे के अतिरिक्त), खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध।
- 5501 सिंथेटिक फिलामेंट सन।

---

1

---

2

- 5502 कृत्रिम फिलार्मेंट सन।  
5503 सिंथेटिक स्टेपल फाइबर जो कार्डेंड या कॉम्ब्ड या कताई के लिए अन्यथा संसाधित न हो।  
5504 कृत्रिम स्टेपल फाइबर जो कार्डेंड या कॉम्ब्ड या कताई के लिए अन्यथा संसाधित न हो। सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के बुने हुए वस्त्र, जिसमें ऐसे फाइबर का वजन 85 प्रतिशत से कम हो और जिसमें मुख्यतः या एकमात्र कपास मिलाया गया हो, जिसका वजन 170 ग्राम से अधिक हो।  
5506 सिंथेटिक स्टेपल फाइबर जो कार्डेंड या कॉम्ब्ड या कताई के लिए अन्यथा संसाधित हो।  
5507 कृत्रिम स्टेपल फाइबर जो कार्डेंड या कॉम्ब्ड या कताई के लिए अन्यथा संसाधित हो।  
5508 मानव-निर्मित स्टेपल फाइबर का सिलाई धागा, खुदरा बिक्री के लिए अनुपलब्ध।  
5509 सिंथेटिक स्टेपल फाइबर का धागा (सिलाई धागे के अतिरिक्त), खुदरा बिक्री के लिए अनुपलब्ध। 68  
5510 कृत्रिम स्टेपल फाइबर का धागा (सिलाई धागे के अतिरिक्त), खुदरा बिक्री के लिए अनुपलब्ध।  
5604 रबड़ धागा और रस्सी, वस्त्र-आच्छादित, वस्त्र धागा और पट्टी तथा 54.04 या 54.05 शीर्ष के समान वस्तुएं, जो रबड़ या प्लास्टिक से भरे हुए, कोटेड, कवर्ड या शीथेड हों।  
5605 धात्विक धागा, चाहे फीताकृत हो या नहीं, जो कि वस्त्र धागा हो या पट्टी हो या 54.04 या 54.05 शीर्ष के समान वस्तुएं हों और धातु के साथ मिलाकर धागा, पट्टी या पाउडर बनाया गया हो या धातु से आच्छादित हो।  
5606 फीतेदार धागा और पट्टी और शीर्ष 54.04 या 54.05 के समान वस्तुएं, फीतेदार (शीर्ष 56.05 और फीतेदार अश्वकेश धागे के अतिरिक्त) शनील का धागा (फ्लाक शनील धागे सहित) लूप वाला धागा।  
5607 ट्रावाइन, कार्डेंज, रस्सियाँ और तार, चाहे गुथा हुआ या चोटीदार हो या नहीं और चाहे रबड़ या प्लास्टिक से भरा हुआ, कोटेड, कवर्ड, या शीथेड हो या नहीं।

## अनुबंध दो

“कि यह सभा एतद्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसरण में, 14 दिसम्बर, 2017 की संख्यांक 91/2017- सीमाशुल्क [सांकाण्ठि 1514(अ) दिनांक 14 दिसम्बर, 2017] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) बढ़ाना है, का अनुमोदन करती है:-

टेरिफ शीर्ष/उपशीर्ष/मद	विवरण	से	तक
1	2	3	4
85165000	माइक्रोवेव ओवेन	10%	20%
85171210	सेल्युलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन (पुश बटन टाइप)	10%	15%
85171290	सेल्युलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन (पुश बटन टाइप के अतिरिक्त)	10%	15%
85219090	अन्य वीडियो रिकार्डिंग या रिप्रोड्यूसिंग उपकरण, चाहे वीडियो द्युनर हो अथवा नहीं हो	10%	15%
852580	टेलीविजन कैमरे, डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर	10%	15%
85287100	टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण जो कि वीडियो डिस्प्ले या स्क्रीन को शामिल करने के लिए नहीं बने हों (चाहे वे रेडियो प्रसारण रिसीवरों अथवा ध्वनि अथवा वीडियो रिकार्डिंग अथवा रिप्रोड्यूसिंग उपकरण को शामिल करे या नहीं)	10%	20%

1	2	3	4
852872	टेलीविजन के लिए अन्य रंगीन रिसेप्शन उपकरण, चाहे वे रेडियो प्रसारण रिसिवर या ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग या रिप्रोड्यूसिंग उपकरण शामिल करे या नहीं	10%	20%
85395000	लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) लैम्प्स	10%	20%
902830	विद्युत मीटर	10%	15%
9405	सर्चलाइट और स्पॉटलाइट और इनके पुर्जे समेत लैम्प और लाइटिंग फिटिंग जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हो, प्रकाशित साइन, प्रकाशित नेम प्लेट और इनकी तरह स्थायी रूप से लगे प्रकाश स्रोत और इनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हों।	10%	20%

**(तीन) सरकारी संकल्प**

क्रम सं.	संक्षिप्त विषय	प्रस्ताव करने वाले सदस्य का नाम	प्रस्ताव पेश करने तथा चर्चा करने की तारीख	लिया गया		संबंधित मंत्रालय/ विभाग	टिप्पणी
				समय	घं मि		
1.	कि यह सभा लोक सभा में प्रस्तुत तथा 2 दिसम्बर, 2016 को राज्य सभा के पटल पर रखे गए रेल अभियान समिति (2014) के छठे प्रतिवेदन के पैरा 9,10 (उस सीमा तक कि सामरिक लाइनों के प्रचालन पर हानि की प्रतिपूर्ति सामान्य वित्त द्वारा रेल मंत्रालय को की जाती है), 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 (ब्याज दर का संदर्भ उधार राशियों की औसत लागत के आधार पर किया जाएगा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।	श्री राजेन गोहेन	21.12.2017	0 01	रेल	स्वीकृत	

**19. नियम 193 के अन्तर्गत लघु अवधि की चर्चा**

विषय	चर्चा उठाने वाले	चर्चा की	लिया गया समय	संबंधित मंत्रालय/	टिप्पणी
	सदस्य का नाम	तारीख	घं मि ं	विभाग	
दक्षिण भारत में ओखी चक्रवात के विशेष संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा।	श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल	22.12.2017	3 19	गृह	चर्चा हुई

## सारांश

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर नियम 193 के अधीन अल्पकालिक  
चर्चाएं

प्राप्त सूचनाओं की संख्या	:	73
की गई चर्चाओं की संख्या	:	1
पूरी हुई चर्चाओं की संख्या	:	1
आंशिक रूप से की गई चर्चाओं की संख्या	:	कोई नहीं
लिया गया कुल समय	:	03 घंटे 19 मिनट

## 20. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति द्वारा की गई घोषणाएं/टिप्पणियां/विनिर्णय

क्रम सं.	विषय	किसके द्वारा	दिनांक
1.	01.12.2017 से लोक सभा और लोक सभा सचिवालय के महासचिव के रूप में श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव की नियुक्ति और महासचिव ( श्री अनूप मिश्र) द्वारा कार्यालय त्याग दिए जाने और सभा के मानद अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति के बारे में घोषणा।	अध्यक्ष	15.12.2017
2.	(एक) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ( संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मानसून सत्र 2018 के अंतिम दिवस तक समय बढ़ाये जाने के संबंध में घोषणा। (दो) वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 के बारे में संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय मानसून सत्र 2018 के अंतिम दिवस तक समय बढ़ाये जाने के संबंध में घोषणा।	अध्यक्ष	18.12.2017
3.	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017, जो उसी दिन पुरःस्थापित किया गया था, को उसी दिन विचार और पारित किए जाने के लिए सभा की अनुमति के बारे में टिप्पणी।	अध्यक्ष	29.12.2017
4.	1 जनवरी, 2018 को नियत बैंक रद्द किए जाने के बारे में घोषणा।	अध्यक्ष	28.12.2017
5.	जनवरी, 2018 के प्रथम सप्ताह में महाराष्ट्र में दलित प्रदर्शन पर चर्चा के दौरान सभा में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदस्यों को अनुदेश के बारे में टिप्पणी।	अध्यक्ष	03.01.2018
6.	(एक) संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर श्री एन° के० प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न के बारे में टिप्पणी। (दो) संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 में राज्य सभा द्वारा किए गए मूल संशोधन का संबंधित मंत्री द्वारा प्रस्ताव किए गए वैकल्पिक संशोधन से प्रतिस्थापन के बारे में टिप्पणी।	अध्यक्ष	03.01.2018
7.	16वीं लोक सभा के 13वें सत्र की समाप्ति पर विदाई उल्लेख।	अध्यक्ष	05.01.2018

## 21. वक्तव्य

**(एक) सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान मंत्रियों द्वारा नियम 372 के अधीन दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य**

क्रम सं.	संक्षिप्त विषय	मंत्री का नाम	तारीख	लिया गया समय	
				घं	मि
1.	भारत के लिए मैथानांल अर्थव्यवस्था के संबंध में।	श्री नितिन जायराम गडकरी	28.12.2017	0	11
2.	पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के परिवार से हुई मुलाकात से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।	श्रीमती सुषमा स्वराज	28.12.2017	0	12
3.	निर्वाचक बांड योजना के पुरःस्थापन के संबंध में।	श्री अरुण जेटली	02.01.2018	0	03
4.	(एक) 'दालों के मूल्यों में बढ़ोतरी' के संबंध में सर्वश्री हरि मांझी और पी० कुमार, संसद सदस्यों के तारांकित प्रश्न संख्या 55 (अंग्रेजी संस्करण) के 19.12.2017 में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर की शुद्धि में हुई देरी के कारण देने के संबंध में।	श्रीमती राम विलास पासवान	04.01.2018	0	03
5.	आंध्र प्रदेश में डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन के संबंध में डॉ० गोकाराजू गंगाराजू, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2831 के 04.01.2018 में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के संबंध में।	श्री राम कृपाल यादव	05.01.2018	0	02
6.	10 से 13 दिसम्बर, 2017 को व्यूनस आयर्स, अर्जेन्टीना में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 11वें मंत्रालयिक सम्मेलन के परिणामों के संबंध में।	श्री सुरेश प्रभु	05.01.2018	0	02

(दो) सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान मंत्रियों द्वारा अध्यक्ष के निदेश 73क के अधीन दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य

क्रम सं. 1	संक्षिप्त विषय 2	मंत्री का नाम 3	तारीख 4	लिया गया समय	
				घं 5	मि 0
*1.	महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 289वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्रीमती मेनका संजय गांधी	18.12.2017	0	01
*2.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित एथनॉल मिश्रित पेट्रोल और बायो डीजल नीति विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	18.12.2017	0	01
*3.	संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	डॉ. महेश शर्मा	18.12.2017	0	01
*4.	रसायन और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित स्वायत्त संस्थान का कार्यकरण-इंस्टीट्यूट आफ ऐस्ट्रीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री राव इन्द्रजीत सिंह	19.12.2017	0	01
*5.	रसायन और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री राव इन्द्रजीत सिंह	19.12.2017	0	01

*6. उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री सी.आर० चौधरी	19.12.2017	0	01
*7. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री डी.वी० सदानन्द गौड़ा	20.12.2017	0	01
*8. कोयला मंत्रालय से कोयला/लिग्नाइट खंडों का आबंटन, विकास और निष्पादन की कोयला समीक्षा के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री हरिभाई पी० चौधरी	20.12.2017	0	01
*9. रेल मंत्रालय से संबंधित भारतीय रेल के बकाया देयक के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री राजन गोहेन	20.12.2017	0	01
*10. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारित संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	डॉ० वीरेन्द्र कुमार	20.12.2017	0	01
*11. उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	डॉ० जितेन्द्र सिंह	27.12.2017	00	01
*12. कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में कार्मिक लोक शिकायत और पेशन संबंधी स्थायी समिति के 90वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	डॉ० जितेन्द्र सिंह	27.12.2017	00	01

77

\*वक्तव्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

1	2	3	4	5
*13.	अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और बन संबंधी स्थायी समिति के 298वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	डॉ. जितेन्द्र सिंह	27.12.2017	00 01
*14.	डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मनोज सिन्हा	27.12.2017	00 01
*15.	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित काल ड्राप की घटनाओं और सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मनोज सिन्हा	27.12.2017	00 01
*16.	गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 197वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 199वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री किरेन रिजिजू	27.12.2017	00 01
*17.	विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/बहुपक्षीय संधियों या 28 समझौतों के निर्माण/अनुमोदन में विधि और न्याय मंत्रालय की भूमिका के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 81वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पी० पी० चौधरी	27.12.2017	00 01
*18.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री नितिन जयराम गडकरी	28.12.2017	00 01

*19. पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 235वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री पी० राधाकृष्णन	28.12.2017	00	01
*20. पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 247वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री पी० राधाकृष्णन	28.12.2017	00	01
*21. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 234वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 241वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मनसुख लाल मांडवीय	28.12.2017	00	01
*22. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 246वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री मनसुख लाल मांडवीय	28.12.2017	00	01
*23. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री थावरचन्द गहलोत	02.01.2018	00	01
*24. रसायन और पेट्रो केमिकल्स विभाग, रसायन और पेट्रो केमिकल्स मंत्रालय से संबंधित पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो केमिकल्स निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री राव इन्द्रजीत सिंह	02.01.2018	00	01

\*वक्तव्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

1	2	3	4	5
*25.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री राव इन्द्रजीत सिंह	02.01.2018	00 01
*26.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री राव इन्द्रजीत सिंह	02.01.2018	00 01
*27.	जम्मू और कश्मीर में विस्थापित व्यक्तियों और शरणार्थियों की समस्याएं विषय पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	02.01.2018	00 01
*28.	भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 281वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री बाबूल सुप्रियो	02.01.2018	00 01
*29.	लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 282वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री बाबूल सुप्रियो	02.01.2018	00 01
*30.	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित समिति की अब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री रवि शंकर प्रसाद	03.01.2018	00 01
*31.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन के कार्यकरण के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	03.01.2018	00 01

8

*32.	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री मनोज मिन्हा	03.01.2018	00	01
*33.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 297वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री वाई॰ एस॰ चौधरी	03.01.2018	00	01
*34.	श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री संतोष गंगावर	04.01.2018	00	01
*35.	शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरदीप एस॰ पुरी	04.01.2018	00	01
*36.	आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री हरदीप एस॰ पुरी	04.01.2018	00	01
*37.	पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 248वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री के॰ जे॰ अल्फोन्स	04.01.2018	00	01
*38.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री अनंतकुमार हेगड़े	04.01.2018	00	01

\*वक्तव्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

1	2	3	4	5
*39.	नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री जयंत सिन्हा	04.01.2018	00 01
*40.	संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	डॉ महेश शर्मा	05.01.2018	00 01
*41.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 280वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री गिरिराज सिंह	05.01.2018	00 01
*42.	गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 201वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री किरण रिजिजू	05.01.2018	00 01
*43.	भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	श्री मनसुख लाल मांडवीय	05.01.2018	00 01
*44.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित भारत में निर्यात अवसंरचना के बारे में समिति के 123वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 131वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सौ. आर. चौधरी	05.01.2018	00 01
*45.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित, मांग सं° 12, अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 133वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे।	श्री सौ. आर. चौधरी	05.01.2018	00 01

82

*46. वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित, मांग सं. 11, अनुदानों की मांगों (2017–18)के बारे में समिति के 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 135वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	श्री सौ. आर चौधरी	05.01.2018	00	01
*47. उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित, मांग सं. 60, अनुदानों की मांगों (2015–16) के बारे में समिति के 265वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 274वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. सत्य पाल सिंह	05.01.2018	00	01
*48. उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित, मांग सं. 52, अनुदानों की मांगों (2016–17) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 279वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. सत्य पाल सिंह	05.01.2018	00	01
*49. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित भारत में उच्चतर शैक्षणिक क्षेत्र के समक्ष मुद्रे और चुनौतियों के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 284वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।	डॉ. सत्य पाल सिंह	05.01.2018	00	01

\*वक्तव्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पट्ट पर रखी।

(तीन) सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान मंत्रियों द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में दिए गए/सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य

क्रम सं.	संक्षिप्त विषय	मंत्री का नाम	तारीख	लिया गया समय	
				घं	मि
*1.	27 दिसम्बर, 2017 को आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य	श्री अर्जुन राम मेघवाल	22.12.2017	00	01
*2.	01 जनवरी, 2018 को आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य	श्री अर्जुन राम मेघवाल	29.12.2017	00	01

\* वक्तव्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी। संसदीय कार्य मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री के वक्तव्य पर सदस्यों द्वारा निवेदन भी सभा पटल पर रखे गए।

(चार) नियम 377 के अधीन मामले—

सोलहवीं लोक सभा (24.01.2018 की स्थिति के अनुसार) के दौरान मंत्रालयों से प्राप्त उत्तरों की स्थिति

सत्र 1	उठाए गए मामलों की कुल संख्या 2	प्राप्त उत्तरों की संख्या 3	लंबित 4	मंत्रियों द्वारा सदस्यों को भेजे गए उत्तरों का प्रतिशत 5
पहला सत्र (06.08.2014 से 11.06.2014)	34	15	19	44.11
दूसरा सत्र (07.07.2014 से 14.08.2014)	354	189	165	53.39
तीसरा सत्र (24.11.2014 से 23.12.2014)	272	154	118	56.62
चौथा सत्र (23.02.2015 से 13.05.2015)	412	231	181	56.07
पांचवां सत्र (21.07.2015 से 13.08.2015)	196	102	94	52.04
छठा सत्र (26.11.2015 से 23.12.2015)	358	151	207	42.18
सातवां सत्र (23.02.2016 से 16.03.2016)	281	134	147	47.69
आठवां सत्र (25.04.2016 से 11.05.2016)	236	112	124	47.46

१	२	३	४	५
नौवां सत्र ( १८.०७.२०१६ से १२.०८.२०१६)	३६७	१९५	१७२	५२.५९
दसवां सत्र ( १६.११.२०१६ से १६.१२.२०१६)	३११	१०८	२०३	३४.७३
ग्यारहवां सत्र ( ३१.०१.२०१७ से १२.०४.२०१७)	४९३	२११	२८२	४२.८०
बारहवां सत्र ( १७.०७.२०१७ से ११.०८.२०१७)	२८१	११९	१६२	४२.३५
तेरहवां सत्र ( १५.१२.२०१७ से ०५.०१.२०१८)	२२६	१०	२१६	४.४२
<b>कुल</b>	<b>३८२१</b>	<b>१७३१</b>	<b>२०९०</b>	<b>४५.३०</b>

(पांच) सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान सभा में व्यवधान और सभा के स्थगित होने के कारण नष्ट हुए समय को दर्शाने वाला  
विवरण

तारीख	व्यवधानों पर व्यतीत हुआ समय		व्यवधान के बाद सभा को स्थगित करने के कारण नष्ट समय		टिप्पणी
	घं मि	घं मि	घं मि	घं मि	
1	2	3	4		
18.12.2017	—	—	5 31	व्यवधान 1106 बजे आरंभ हुआ और सभा 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई। 12.23 बजे व्यवधान के कारण सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।	
19.12.2017	—	—	0 27	व्यवधान 1133 बजे आरंभ हुआ और सभा 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।	87
20.12.2017	—	—	1 38	व्यवधान 1103 बजे आरंभ हुआ और सभा 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई। 12.19 बजे व्यवधान के कारण सभा 1400 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।	
27.12.2017	—	—	2 20	व्यवधान 1109 बजे आरंभ हुआ और सभा 1200 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई। 1216 बजे व्यवधान के कारण सभा 1400 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई। 1417 बजे व्यवधान के कारण सभा 1445 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई। 1558 बजे व्यवधान के कारण सभा 1615 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।	
03.01.2017	—	—	4 09	1236 बजे व्यवधान के कारण सभा 1245 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई। 1338 बजे व्यवधान के कारण सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।	
<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>+</b>	<b>14 05</b>	<b>=</b>	<b>14 05</b>

समय की गणना सभा के सामान्य समय अर्थात् पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे और अपराह्न 2.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक के आधार पर की गई।

(छह) सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान (i) प्रश्न काल के पश्चात्, और (ii) सभा के स्थगन से पहले उठाए गए अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को दर्शाने वाला विवरण

दिनांक	उठाए गए मामलों की संख्या	बोलने वाले सदस्यों की संख्या	लिया गया		प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या
			समय घं. मि.		
1	2	3	4		5
15.12.2017	शून्य	शून्य	शून्य		17
18.12.2017	शून्य	शून्य	शून्य		97
19.12.2017	28	91	0 53		138
20.12.2017	03	09	0 10		142
21.12.2017	36	36	1 01		154
22.12.2017	शून्य	शून्य	शून्य		108
27.12.2017	02	06	0 18		120
28.12.2017	41	58	1 10		146
29.12.2017	22	27	0 45		113
02.01.2018	22	57	0 54		117
03.01.2018	02	05	0 23		161
04.01.2018	42	134	1 11		157
05.01.2018	शून्य	शून्य	शून्य		95
कुल	198	423	06 45		1565

**22. सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान गणपूर्ति घंटी के बजाए जाने की तारीखें और  
समय को दर्शाने वाला विवरण**  
**( 15.12.2017 से 05.01.2018 )**

क्रम संख्या	तारीख गणपूर्ति घंटी बजाई गई	समय जब लिया गया समय	गणपूर्ति घंटी के बजाए जाने के समय हो रही चर्चा की विषय-वस्तु	टिप्पणियाँ	
1	2	3	4	5	6
1.	19.12.2017	1400 बजे से 1401 बजे तक	01	—	गणपूर्ति घंटी के एक बार बजाए जाने के पश्चात् भोजनावकाश के उपरांत सभा पुनः समवेत हुई।
2.	20.12.2017	1400 बजे से 1401 बजे तक	01	—	- तदेव -
3.	27.12.2017	1400 बजे से 1401 बजे तक	01	—	- तदेव -
4.	02.01.2018	1400 बजे से 1402 बजे तक	02	—	- तदेव -
5.	04.01.2018	1430 बजे से 1432 बजे तक	02	—	- तदेव -
कुल		07 मिनट			

### गणपूर्ति घंटी के बजाए जाने के बारे में विश्लेषण

1.	गणपूर्ति घंटी के बजाए जाने में लिया गया कुल समय	:	07 मिनट
2.	किसी दिन विशेष में गणपूर्ति घंटी के बजाए जाने की अधिकतम संख्या	:	सभी दिनों में एक बार
3.	गणपूर्ति के अभाव में सभा के स्थगित होने की संख्या	:	कोई नहीं
4.	ऐसे दिनों की संख्या जब गणपूर्ति घंटी बजाए जाने के पश्चात् सभा की बैठक आरंभ हुई	:	कोई नहीं
5.	ऐसे दिन जब गणपूर्ति घंटी बजाए जाने के पश्चात् भोजनावकाश के उपरांत सभा पुनः समवेत हुई	:	05 दिन

### 23. सोलहवीं लोक सभा के 13वें सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा किए गए बहिर्गमन के बारे में विवरण

(15.12.2017 से 05.01.2018 तक)

दिनांक	समय	विषय
19.12.2017	1242 बजे	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और आईएसी तथा आरएसपी के कुछ अन्य सदस्यों ने प्रधानमंत्री से, पूर्व प्रधानमंत्री जो सभा के सदस्य नहीं हैं पर उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग करते हुए सभा से बहिर्गमन किया।
20.12.2017	1442 बजे	श्री सुनील कुमार जावड़, संसद सदस्य और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री जो सभा के सदस्य नहीं हैं, के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने और उसके बाद इस मामले में सभा द्वारा कथित निष्क्रियता के विरोध में सभा से बहिर्गमन किया।
21.12.2017	1210 बजे	श्री केसी० वेणुगोपाल और आईएनसी तथा आरएसपी के कुछ अन्य सदस्यों ने प्रधानमंत्री से, पूर्व प्रधानमंत्री जो सभा के सदस्य नहीं हैं पर उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग करते हुए सभा से बहिर्गमन किया।
22.12.2017	1204 बजे	श्री एसधी० मुद्दाहनुमे गढ़ा और आईएनसी के कुछ अन्य सदस्यों ने प्रधानमंत्री से, पूर्व प्रधानमंत्री जो सभा के सदस्य नहीं हैं पर उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग करते हुए सभा से बहिर्गमन किया।
	1540 बजे	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और आईएनसी के कुछ अन्य सदस्यों ने नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में देश के विभिन्न भागों में, दक्षिण भारत में ओखी चक्रवात के विशेष संदर्भ में, प्राकृतिक आपदाओं पर श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री के असंतोषजनक उत्तर के विरोध में सभा से बहिर्गमन किया।
28.12.2017	1234 बजे	टीआरएस के सदस्यों ने मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 के पुरस्थापन के विरोध में सभा से बहिर्गमन किया।
	1933 बजे	श्री भर्तृहरि महताव, श्री असादुद्दीन औवेसी और बीजेडी के कुछ अन्य सदस्यों ने मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 को पारित किए जाने के विरोध में सभा से बहिर्गमन किया।
03.01.2018	1232 बजे	प्र० सौगत राय और एआईटीसी के अन्य सदस्यों ने महाराष्ट्र में सांप्रदायिक झड़पों पर प्र० सौगत राय द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर अनुमति नहीं दिए जाने के विरुद्ध सभा से बहिर्गमन किया।
	1252 बजे	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और आईएनसी के कुछ अन्य सदस्यों ने दलित प्रदर्शनों के कारण महाराष्ट्र में हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए सभा से बहिर्गमन किया।

**24. माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों  
तथा सभा के अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा 15.12.2017 से 05.01.2018  
तक आसन में बिताए गए वास्तविक समय को दर्शाने वाला विवरण**

	दिनों की संख्या	बिताया गया कुल समय	
		घं	मि०
माननीय अध्यक्ष	13	29	56
माननीय उपाध्यक्ष	07	17	54
श्री अर्जुन चरण सेठी	03	06	31
श्री रमेन डेका	03	02	44
श्री हुक्म देव नारायण यादव	03	02	24
श्री कौण्ठ मुनियप्पा	02	01	17
डॉ. रत्ना डे (नाग)	01	00	48
प्र० सौंगत राय (वरिष्ठ सदस्य)	01	00	21

**माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्यों तथा  
सभा के अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा 15.12.2017 से 05.01.2018 तक आसन  
में बिताए गए वास्तविक समय को दर्शाने वाला विवरण**

तारीख 1	बिताया गया समय 2	कुल समय घं० मि०	
		घं०	मि०
3			
<b>माननीय अध्यक्ष</b>			
15.12.2017	1100 से 1118 बजे तक	00	18
18.12.2017	1100 से 1106 बजे तक	00	06
	1200 से 1223 बजे तक	00	23
19.12.2017	1100 से 1133 बजे तक	00	33
	1200 से 1302 बजे तक	01	02
20.12.2017	1100 से 1103 बजे तक	00	03
	1200 से 1219 बजे तक	00	19
	1432 से 1454 बजे तक	00	22
21.12.2017	1100 से 1231 बजे तक	01	31
	1708 से 1942 बजे तक	02	34
22.12.2017	1100 से 1253 बजे तक	01	53
27.12.2017	1100 से 1109 बजे तक	00	09
	1200 से 1218 बजे तक	00	18
	1445 से 1558 बजे तक	01	13
	1615 से 1738 बजे तक	01	23
28.12.2017	1100 से 1358 बजे तक	02	58
	1555 से 1727 बजे तक	01	32
	1809 से 1935 बजे तक	01	26
29.12.2017	1100 से 1303 बजे तक	02	03
	1445 से 1600 बजे तक	01	15
02.01.2018	1100 से 1307 बजे तक	02	07
	1402 से 1407 बजे तक	00	05
03.01.2018	1100 से 1236 बजे तक	01	36
	1247 से 1338 बजे तक	00	51

1	2	3
04.01.2018	1100 से 1332 बजे तक	02 32
05.01.2018	1100 से 1224 बजे तक	01 24
आसन में बिताया गया कुल समय		29 56
तारीख	बिताया गया समय	कुल समय घं मि
माननीय उपाध्यक्ष		
20.12.2017	1401 से 1432 बजे तक	00 31
	1454 से 1623 बजे तक	01 29
	1708 से 1915 बजे तक	02 07
21.12.2017	1231 से 1311 बजे तक	00 40
	1411 से 1708 बजे तक	02 57
27.12.2017	1400 से 1417 बजे तक	00 17
28.12.2017	1500 से 1527 बजे तक	00 27
	1749 से 1809 बजे तक	00 20
29.12.2017	1303 से 1445 बजे तक	01 42
	1600 से 1625 बजे तक	00 25
02.01.2018	1407 से 1510 बजे तक	01 03
	1654 से 1804 बजे तक	01 11
04.01.2018	1432 से 1917 बजे तक	04 45
आसन में बिताया गया कुल समय		17 54
श्री अर्जुन चरन सेठी	बिताया गया समय	कुल समय घं मि
19.12.2017	1401 से 1518 बजे तक	01 17
22.12.2017	1253 से 1505 बजे तक	02 12
	1633 से 1800 बजे तक	01 27
29.12.2017	1625 से 1800 बजे तक	01 35
आसन में बिताया गया कुल समय		06 31

श्री रमेन डेका	बिताया गया समय	कुल समय
		घं मि०
19.12.2017	1608 से 1712 बजे तक	01 17
20.12.2017	1623 से 1708 बजे तक	00 45
02.01.2018	1510 से 1605 बजे तक	00 55
आसन में बिताया गया कुल समय		02 44

  

श्री हुक्मदेव नारायण यादव	बिताया गया समय	कुल समय
		घं मि०
19.12.2017	1518 से 1608 बजे तक	00 50
22.12.2017	1526 से 1633 बजे तक	01 07
28.12.2017	1727 से 1749 बजे तक	01 22
आसन में बिताया गया कुल समय		02 24

  

श्री केण्ठच मुनियप्पा	बिताया गया समय	कुल समय
		घं मि०
28.12.2017	1527 से 1555 बजे तक	00 28
02.01.2018	1605 से 1654 बजे तक	00 49
आसन में बिताया गया कुल समय		01 17

  

डॉ रत्ना डॉ (नाग)	बिताया गया समय	कुल समय
		घं मि०
19.12.2017	1712 से 1800 बजे तक	00 48
आसन में बिताया गया कुल समय		01 48

प्रो० सौगत राय (वरिष्ठ सदस्य)	बिताया गया समय	कुल समय घं मि
22.12.2017	1505 से 1526 बजे तक	00 21
आसन में बिताया गया कुल समय		00 21

**25. सोलहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु  
लिए गए समय को दर्शाने वाला विवरण**

कार्य	लिया गया समय		लिए गए कुल समय की प्रतिशतता
	घंटा	मिनट	
<b>विधेयक</b>			
(क) सरकारी विधेयक	*28	00	45.90
(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	02	32	04.15
<b>बजट</b>			
केन्द्रीय बजट	06	33	10.74
<b>चर्चाएं-</b>			
अल्पकालिक चर्चाएं (नियम 193)	03	19	05.44
अविलंबनीय लोक महत्व के मामले	16	45	11.06
नियम 377 के अधीन मामले	00	19	00.25
प्रश्न	04	19	07.08
<b>संकल्प</b>			
(क) सांविधिक संकल्प	*00	03	00.08
(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	02	18	03.77
अन्य मामले जैसे शपथ अथवा प्रतिज्ञान, सभा पटल पर रखे गए पत्र, निधन संबंधी उल्लेख, विशेषाधिकार के प्रश्न, व्यवस्था के प्रश्न, वैयक्तिक स्पष्टीकरण आदि।	07	02	11.53
<b>कुल</b>	<b>61</b>	<b>00</b>	<b>100</b>

\* तीन सांविधिक संकल्पों [देखिए अध्याय संख्या 15 विवरण संख्या (दो)] और संबंधित सरकारी विधेयकों पर  
विचार करने के लिए प्रस्ताव [देखिए अध्याय संख्या 2 विवरण संख्या (एक)] पर संयुक्त चर्चा की गई। संयुक्त  
चर्चा में लिए गए समय को सरकारी विधेयकों के अंतर्गत दर्शाया गया है।